न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 07/2018

राजस्थान सरकार जरिये सुश्री साक्षी कस्वाँ, प्रर्वतन निरीक्षक, अजमेर

........प्रार्थी

बनाम

भरत राज सिंह, निवासी–रामधाम के सामने, रिद्धी सिद्धी मारूति वर्कशाप, पुष्कर, जिला– अजमेर ।

.......अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 27.06.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 20.02.2018 को प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के निवास स्थल/व्यवसाय स्थल की जांच करने पर अप्रार्थी के निवास/व्यवसाय स्थल से गैस रिफलिंग मशीन एवं 01 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये।

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.kg	G.W.kg	N.W.kg	TYPE
1	927927	HPC	15.4	29.5	14.1	Domestic

अप्रार्थी के पास बिना किसी वैध दस्तावेज के घरेलू गैस सिलेण्डर एवं रिफलिंग मशीन का पाया जाना घरेलू गैस का दुरूपयोग एवं अवैध रूप से रिफलिंग का कार्य किया जाना सिद्ध करता है। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरूपयोग एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन)आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है। अतः एक घरेलू सिलेण्डर एवं 01 रिफलिंग मशीन को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर दिव्य दीप्ति, एच.पी.सी.एल.गैस ऐजेन्सी को सुपुर्दगी में दिया गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर एवं रिफिलिंग मशीन को राजसात करने हेतु प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। थानाधिकारी पुष्कर द्वारा नोटिस अदम तामिल लौटाते हुए उस पर अंकित किया कि दिये गये पते पर मिले शख्स से तामीली करवाना चाहने पर उसने अपना नाम ब्रिजराज सिंह बताते हुए तामिली सी इन्कार किया। उसके आईडी दस्तावेज पर भी ब्रिजराज सिंह लिखा होना पाया गया जो प्राप्त कर सलंग्न नोटिस प्रेषित किया गया है। इस बाबत् जिला रसद अधिकारी को वस्तुस्थिति की रिपोर्ट चाही गई।

अप्रार्थी भरतराज सिंह/ब्रिजराज सिंह बावजूद सूचना के उपस्थित नही। उपस्थित पैरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर उन्हें सुना गया।

जिला कलक्टर
अजमेर

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी के घर में अवैध रिफलिंग होने की प्राप्त शिकायत के आधार पर दिनांक दिनांक 20.02.2018 को प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, तहसीलदार पुष्कर, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका पुष्कर एवं गिरदावर पुष्कर के साथ अप्रार्थी के निवास की जांच किय जाने पर अप्रार्थी के निवास स्थल से एक एचपीसीएल घरेलू गैस सिलेण्डर एवं एक रिफिलिंग मशीन बरामद की गई। वक्त जांच अप्रार्थी उपस्थित नहीं मिला। नजदीकी रिद्वि सिद्धि मारूति वर्कशॉप पर मौजूद लोगो द्वारा भी अप्रार्थी बाबत कोई जानकारी नहीं दी गई। अप्रार्थी के निवास स्थल से गैस रिफलिंग मशीन का मिलना घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग सिद्ध करता है। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिया गया घरेलू गैस सिलेण्डर एवं एक रिफिलिंग मशीन को राजसात फरमाया जावें।

हमनें पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। चूंकि अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित है, उनके द्वारा जरिये जवाब भी ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के पेश नही किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनो का खण्डन करते। वक्त जांच उनके निवास स्थल से गैस रिफलिंग मशनी एवं अवैध घरेलू गैस सिलेण्डर का पाया जाना उनका घरेलू गैस का दुरूपयोग एवं अवैध रूप से रिफलिंग किया जाना सिद्ध करता है। इससे अप्रार्थी का अवैध कृत्य स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिया गया एकः घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 01 रिफिलिंग मशीन को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(आरती डोगरा)
जिला कलक्टर
अजमेर

कार्यालय जिला कलक्टर अजमेर